विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूतः प्रधान न्यायाधीश

विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉच

राष्ट्रीय मुख्यधाराः राजीव रंजन

धनबादः समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत की गई नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के

साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरुआत एक जुलाई 2025 से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर 2025 तक चलाई जाएगी। इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे।

1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष, प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन, प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला, विजय कुमार श्रीवास्तव, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

दबंग हिन्द,संवाददाता

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूत-प्रधान न्यायाधीश

धनबाद। समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरूआत की गई। नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि.यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य प्रयास किया जाएगा. वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरूआत एक जुलाई पच्चीस से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर तक चलाई जाएगी.इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा ।मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है . ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष , प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन , प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला , विजय कुमार

5

The nation will be strengthened by dialogue, not by disputes

DN ■ Dhanbad

In view of the increasing number of disputes in the society, on the instructions of National Legal Services Authority NALSA, a 90-day mediation program for the nation was started across India. On the instructions of NALSA and JHALSA, this program was also launched in Dhanbad. Its main objective is to resolve as many disputes as possible through mediation. In this connection, on Thursday, Dhanbad's Chief District and Sessions Judge Virendra Kumar Tiwari held a meeting with all the judicial officers of Dhanbad district and directed to send as many cases as possible which are reconcilable for

mediation. On this occasion, he said that this campaign will try to resolve various types of disputes like matrimonial disputes, accident claims, domestic violence, cheque bounce, commercial disputes, service matters, reconcilable criminal cases, consumer disputes, loan recovery, partition, eviction, land acquisition and mediatable civil cases, which will be resolved through mediation. While giving information about this program, Additional Judge cum Secretary District Legal Services Authority Mayank Tushar Topno said that in view of the increasing number of disputes, NALSA has started a special campaign of mediation for the nation from July 1, 25, which will run till September 30. In this campaign, for the convenience of the parties, efforts will be made to settle the cases through mediation seven days a week. From July 1 to July 31, 2025, the court will identify and list the cases eligible for the special mediation campaign from its cause list and the cases likely to be settled during this period will be sent for mediation.

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूत : प्रधान न्यायाधीश

नव प्रदेश संवाददाता

विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉंच

धनबाद। समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत की गई नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है. इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा. वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरुआत एक जुलाई पच्चीस से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर तक चलाई जाएगी.इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा, और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष, प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन, प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला, विजय कुमार श्रीवास्तव, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूत-प्रधान न्यायाधीश

● विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉंच

पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि

धनबाद। समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत की गई नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरुआत एक जुलाई 2025 से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर 2025 तक चलाई जाएगी। इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे।

1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफ़लाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष, प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन, प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला, विजय कुमार श्रीवास्तव, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

District Legal Services Authority, Dhanbad

District Legal Services Authority, Dhanbad

वर्ष 20| अंक 04 |पृष्ठ 12
देवघर
शुक्रवार, 04 जुलाई 2025
मूल्य ₹ 3/-

हिन्दी दैनिक
श्वेत पत्र
आपकी बात सच के साथ

पेज 12 : टीम इंडिया ने...

www.shwetpatra.co.in देवघर व राँची से प्रकाशित एवं पूरे झारखंड, बिहार तथा बंगाल में प्रसारित E-mail : shwetpatra10@gmail.com

व्यवहार न्यायालय में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता विशेष अभियान शुरू

गिरिडीह(निंस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के निदेशानुसार व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में ह्वराष्ट्र के लिए मध्यस्थताह्व विशेष अभियान की शुरूआत हो गई है। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक 90 दिनों तक चलेगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के तत्वावधान में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित सुलहनीय मामलों का त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। अभियान की शुरूआत के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मार्तण्ड प्रताप मिश्र ने व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों और मध्यस्थों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए ताकि मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके। मार्तण्ड प्रताप मिश्र ने कहा कि मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जो न केवल समय और धन की बचत करती है, बल्कि आपसी रिश्तों को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक होती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा से जुड़े मामले, आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति का विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और अन्य सिविल मामलों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता प्रक्रिया को भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड तीनों मोड में संचालित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक वादियों को सुविधा मिल सके। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस अभियान का लाभ लें और अपने लंबित मामलों को संबंधित न्यायालयों में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहम्मद

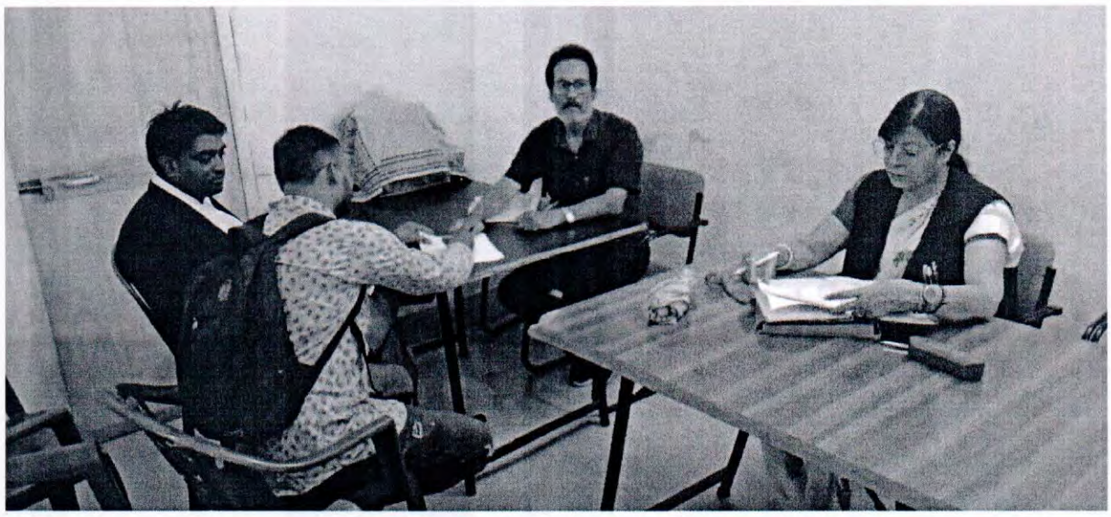

मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को लेकर बैठक

जमशेदपुर, 10 जुलाई (रिपोर्टर) : नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार मेडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत जिले में 90 दिनों का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ न्याय सदन सभागार में बैठक की. उन्होंने कहा कि मेडिएशन फॉर नेशन अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक 90 दिनों के लिए चलेगा.

डालसा सचिव ने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक वाद, सड़क दुर्घटना वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक वाद, रोजगार व सेवा संबंधित विवाद, अपराधिक समनीय वाद, उपभोक्ता संबंधी वाद, ऋण वसूली वाद, बटवारा संबंधी वाद, मकान मालिक व किरायेदार वाद, भू अर्जन वाद सहित अन्य उपयुक्त लंबित वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना है. संबंधित पक्षकार या तो न्यायालय के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अपने लंबित वादों को मध्यस्थता केन्द्र, न्याय सदन पूर्वी सिंहभूम को भेज सकता है. बैठक में के के सिन्हा, वी कामेश्वरी, विमल पांडेय, राजेश दास, प्रीति मुर्मू, सोमा दास, कृष्णा जी प्रसाद, मौसमी चौधरी समेत अन्य मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित थे.

मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को लेकर बैठक

जमशेदपुर, 10 जुलाई (रिपोर्टर) : नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार मेडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत जिले में 90 दिनों का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ न्याय सदन सभागार में बैठक की. उन्होंने कहा कि मेडिएशन फॉर नेशन अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक 90 दिनों के लिए चलेगा.

डालसा सचिव ने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक वाद, सड़क दुर्घटना वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक वाद, रोजगार व सेवा संबंधित विवाद, अपराधिक समनीय वाद, उपभोक्ता संबंधी वाद, ऋण वसूली वाद, बटवारा संबंधी वाद, मकान मालिक व किरायेदार वाद, भू अर्जन वाद सहित अन्य उपयुक्त लंबित वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना है. संबंधित पक्षकार या तो न्यायालय के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अपने लंबित वादों को मध्यस्थता केन्द्र, न्याय सदन पूर्वी सिंहभूम को भेज सकता है. बैठक में के के सिन्हा, वी कामेश्वरी, विमल पांडेय, राजेश दास, प्रीति मुर्मू, सोमा दास, कृष्णा जी प्रसाद, मौसमी चौधरी समेत अन्य मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित थे.

कोयलांचल संवाद

संक्षिप्त खबरें

मेडिएशन फॉर नेशनःमध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ डालसा सचिव ने किया बैठक आयोजित

जमशेदपुरः नालसा व झालसा के निर्देशानुसार मेडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत पूर्वी सिहभूम जिले में 90 दिनो का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बुधवार को न्याय सदन सभागार में एक विशेष बैठक आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेडिएशन फॉर नेशन अभियान 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 90 दिनो के लिए चलेगा। डालसा सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में 01 जुलाई से पूर्वी सिंहभूम जिले में भी यह अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं से अपने कार्यों में तेजी लाने को कहा, ताकि अधिक से अधिक वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से कराया जा सके। बैठक में के के सिन्हा, बी कामेश्वरी, बिमल पांडेय, राजेश दास, प्रीति मुर्मू, रंजन सिंह, शशि तिवारी, सोमा दास, कृष्णा जी प्रसाद, मौसमी चौधरी समेत अन्य मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित थे।

मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को सफल बनाने को लेकर मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ डालसा सचिव ने की बैठक आयोजित

एक संदेश संवाददाता

जमशेदपुर : नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार मेडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत पूर्वीसिंहभूम जिले में 90 दिनो का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बुधवार को न्याय सदन सभागार में एक विशेष बैठक आयोजित किया । इस दौरान उन्होंने कहा कि मेडिएशन फॉर नेशन अभियान 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 90 दिनो के लिए चलेगा। डालसा सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री

अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में 01 जुलाई से पूर्वी सिंहभूम जिले में भी यह अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं से अपने कार्यों में तेजी लाने को कहा , ताकि अधिक से अधिक वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से कराया जा सके । उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक वाद, सड़क दुर्घटना वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक वाद, रोजगार व सेवा संबंधित विवाद, अपराधिक समनीय वाद, उपभोक्ता संबंधी वाद, ऋण वसूली वाद, बटवारा संबंधी वाद, मकान मालिक व किरायेदार वाद, भू अर्जन वाद सहित अन्य उपयुक्त लंबित वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना है । संबंधित पक्षकार या तो न्यायालय के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अपने लंबित वादों को मध्यस्थता केन्द्र, न्याय सदन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को भेज सकता है। मेडिएशन फॉर नेशन अभियान का पूरे जिले में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी कराया गया है , ताकि लोग इस अभियान का लाभ लेकर वे अपना समय, खर्च आदि बचाते हुए अपने विवादों का शीघ्र समाधान कर सकते हैं। बैठक में के के सिन्हा , बी कामेश्वरी , विमल पांडेय, राजेश दास , प्रीति मुर्मू , रंजन सिंह, शशि तिवारी, सोमा दास , कृष्णा जी प्रसाद , मौसमी चौधरी समेत अन्य मध्यस्थ अधिवक्ता गण उपस्थित थे ।

मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को सफल बनाने को लेकर मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ डालसा सचिव ने किया बैठक आयोजित

जमशेदपुर: नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार मेडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत पूर्वीसिंहभूम जिले में 90 दिनो का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बुधवार को न्याय सदन सभागार में एक विशेष बैठक आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेडिएशन फॉर नेशन अभियान 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 90 दिनो के लिए चलेगा। डालसा सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में 01 जुलाई से पूर्वी सिंहभूम जिले में भी यह अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं से अपने कार्यों में तेजी लाने को कहा ,

ताकि अधिक से अधिक वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से कराया जा सके । उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक वाद, सड़क दुर्घटना वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक वाद, रोजगार व सेवा संबंधित विवाद, अपराधिक समनीय वाद, उपभोक्ता संबंधी वाद, ऋण वसूली वाद, बटवारा संबंधी वाद, मकान मालिक व किरायेदार वाद, भू अर्जन वाद सहित अन्य उपयुक्त लंबित वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना है । संबंधित पक्षकार या तो न्यायालय के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अपने लंबित वादों को मध्यस्थता केन्द्र, न्याय सदन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को भेज सकता है। मेडिएशन फॉर नेशन अभियान का पूरे जिले में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी कराया गया है , ताकि लोग इस अभियान का लाभ लेकर वे अपना समय, खर्च आदि बचाते हुए अपने विवादों का शीघ्र समाधान कर सकते हैं। बैठक में के के सिन्हा , बी कामेश्वरी , विमल पांडेय, राजेश दास , प्रीति मुर्मू , रंजन सिंह, शशि तिवारी, सोमा दास , कृष्णा जी प्रसाद , मौसमी चौधरी समेत अन्य मध्यस्थ अधिवक्ता गण उपस्थित थे ।

सार-संक्षेप

मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को सफल बनाने के लिए डालसा सचिव ने मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक

राष्ट्र संवाद संवाददाता

जमशेदपुरः नालसा एवं झालसा के निदेर्शानुसार चल रहे मेडिएशन फॉर नेशन अभियान को लेकर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने न्याय सदन सभागार में सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बैठक की।

उन्होंने बताया कि यह 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। अभियान के तहत वैवाहिक, सड़क दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक, उपभोक्ता, ऋण वसूली, बटवारा, भू-अर्जन आदि वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा।

सचिव ने अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर बल दिया और बताया कि लोग अपने मामले सीधे न्यायालय या डालसा के माध्यम से मध्यस्थता केंद्र, न्याय सदन, जमशेदपुर में भेज सकते हैं।

इस बैठक में के के सिन्हा, बी कामेश्वरी, बिमल पांडेय, प्रीति मुर्मू, शशि तिवारी, सोमा दास सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं के साथ डालसा सचिव की बैठक

जमशेदपुर। नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार मेडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत पूर्वीसिंहभूम जिले में 90 दिनों का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इसे सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बुधवार को न्याय सदन सभागार में एक विशेष बैठक आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेडिएशन फॉर नेशन अभियान 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 90 दिनो के लिए चलेगा।

›››: संक्षिप्त खबर :‹‹‹

'मेडिएशन फॉर नेशन' अभियान को लेकर अधिवक्ताओं के साथ डालसा सचिव ने की बैठक

जमशेदपुर : नालसा एवं झालसा के निर्देश पर मेडिएशन फॉर नेशन अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 90 दिनों का विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। जिसको सफल बनाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ न्याय सदन सभागार में एक विशेष बैठक आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 90 दिनो तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में 1 जुलाई से पूर्वी सिंहभूम जिले में यह अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं से अपने कार्यों में तेजी लाने को भी कहा। ताकि अधिक से अधिक वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से कराया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक वाद, सड़क दुर्घटना वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक वाद, रोजगार व सेवा संबंधित विवाद, अपराधिक समनीय वाद, उपभोक्ता संबंधी वाद, ऋण वसूली वाद, बंटवारा संबंधी वाद, मकान मालिक व किरायेदार वाद, भू अर्जन वाद समेत अन्य उपयुक्त लंबित वादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना है। संबंधित पक्षकार या तो न्यायालय के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अपने लंबित वादों को मध्यस्थता केन्द्र, न्याय सदन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को भेज सकता है। इस अभियान का पूरे जिले में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी कराया गया है। ताकि लोग इसका लाभ लेकर अपना समय और खर्च बचाते हुए अपने विवादों का शीघ्र समाधान कर सकें। बैठक में केके सिन्हा, बी कामेश्वरी , बिमल पांडेय, राजेश दास, प्रीति मुर्मू, सोमा दास, कृष्णा जी प्रसाद, मौसमी चौधरी समेत अन्य अधिवक्ता भी मौजूद थे।

... ताकि आदिवासी बच्चे जाएं स्कूल

डालसा ने शुरू की मुहिम, 248 पंचायतों के गांवों में चलाई जा रही है जागरूकता

अरविंद • जागरण

बोकारो : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) अब विधिक जागरूकता के साथ बच्चों को स्कूल पहुंचाने का भी काम करेगा। जनजातीय इलाके में शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूल न जाने वाले आदिवासी बच्चों की पहचान की जाएगी। निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रविधानों के तहत नजदीकी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। जनजातीय समुदाय को स्वास्थ्य के अधिकार के साथ उनके लिए बने कानूनों की जानकारी भी दी जाएगी।

सुशिक्षित समाज

स्थानीय भाषा में वीडियो दिखाकर कानूनी जागरूकता अभियान चलेगा। रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के निर्देश पर साथी के साथ-साथ जागृति व आशा

न्याय सदन की फाइल फोटो सोत : सदन

स्थानीय भाषा में लोगों को वीडियो दिखाकर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी तैयार हो गई है रूपरेखा

अभियान जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। साथी अभियान के अंतर्गत अनाथ बच्चों की खोज हो रही है। इनका आधार कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास हो रहा है। अन्य कार्यक्रमों के तहत

संवाद अभियान के तहत स्कूल न जाने वाले आदिवासी बच्चों की पहचान होगी। निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रविधानों के अंतर्गत नजदीकी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। अभियानों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 248 पंचायतों में इन सभी कार्यक्रमों को चलाना है। पहले दिन जमीन विवाद के अधिक मामले आए। ग्रामीणों ने बताया डाटा इंट्री के समय रजिस्टर दो व खतियान में गलती की गई है, सुधार के लिए प्रखंड कार्यालय जाने पर परेशान किया जा रहा है। सभी से आवेदन मांगा है। आवेदन आते ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनुज कुमार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार।

बाल विवाह के प्रति भी जागरूकता फैलाई जा रही है। नशा मुक्ति कार्यक्रम हो रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनुज कुमार की देखरेख में चल रहे इन कार्यक्रमों में जागृति अभियान के तहत पंचायतों में जाकर लोगों को डालसा की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। 248 पंचायतों में इन कार्यक्रमों को चलाना है।

चार पंचायतों में दी कार्यक्रमों की जानकारी : प्रधान जिला जज के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनुज कुमार ने शुक्रवार को चार पंचायत सचिवालय में लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी दी। सरदाहा, मिर्धा, पिंड्राजोरा व चंदनकियारी के आम्राकुड़ी पंचायत भवन में लोगों की कई कानूनी शंकाओं का समाधान भी किया। बताया मुद्रांक अधिनियम में संशोधन हुआ है।

इसके लिए बंटवारा अभिलेख पचास रुपये के स्टांप पर हो जाएगा। बंटवारा होने की स्थिति में लोगों को बाद के विवाद से बचने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से निबंधन कराया जा सकता है। कोर्ट भी बंटवारा वाद एक हजार रुपये की कोर्ट फीस पर दायर किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एक जुलाई से 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान की हुई शुरूआत

झारखंड प्रहरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय के मार्गदर्शन में मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान का हो रहा संचालन

मेदिनीनगर (पलामू) : नालसा के निर्देश व झालसा रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पलामू के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय के मार्गदर्शन में मेडिएशन फॉर द नेशन (राष्ट्र के लिए मध्यस्थता) अभियान की शुरूआत पलामू जिले में पहली जुलाई से की गई। 90 दिवसीय

मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, सुलहनीय आपराधिक व दीवानी सहित सभी तरह के मामले मे मध्यस्थता कर पक्षकारों में समन्वय बनाकर अधिक से अधिक मामले निस्तारण किया जाएगा। जन हितैषी का सशक्त माध्यम मध्यस्थता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि अभियान में पक्षकारों की सुविधा के अनुसार मध्यस्थता कर मामलों के निपटारे का प्रयास किया जाएगा। कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष मध्यस्थ पक्षों को आपसी सहमति से विवाद का समाधान खोजने में मदद करता है। कहा कि यह प्रक्रिया अदालती कार्यवाही से कम खचीर्ला व समय की बचत करने वाली होती है। इसमें पक्षों को अपनी बात करने व समझौते में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि पलामू जिले में अभियान की शुरूआत कर दी गई है।

NATION

Mediation for the Nation" Program to Begin from July 1: Rakesh Ranjan

EW Correspondent, New Delhi.

The Secretary of Palamu District Legal Services Authority (DLSA), Rakesh Ranjan, informed that the National Legal Services Authority (NALSA) has launched several initiatives aimed at providing significant relief and convenience to citizens. DLSA Secretary announced that NALSA's new program, Mediation for the Nation, will commence on July 1 and continue for 90 days. Preparations for the program have already started.

According to him, this initiative offers an excellent opportunity for people to resolve disputes amicably. He clarified that the facility will be available for cases referred by the respective courts. Additionally, NALSA has introduced a toll-free helpline number, 15100, which can be used by individuals facing difficulties such as refusal to register an FIR or other legal issues. People can call this number to formally present their grievances, which will then be forwarded to the relevant authorities. DLSA Secretary Rakesh Ranjan further informed that the National Lok Adalat will be organized on September 13, with preparations set to begin on July 13. He emphasized that cases suitable for settlement will be taken up during the Lok Adalat.

विशेष मध्यस्थता अभियान में मुकदमों के शीघ्र निपटारे पर जोर

मध्यस्थता कार्य में तेजी लायें : पीडीजे

प्रतिनिधि, लातेहार

मीडिएटर्स को समय-सीमा का ख्याल रखने का निर्देश

उन्होंने प्राधिकार के सचिव को निर्देश दिया कि बिना किसी बहाने के मध्यस्थता में देरी न की जाये और न ही डेट आगे बढ़ायी जाये. उन्होंने मीडिएटर्स को मध्यस्थता कार्य में तेजी लाने एवं समय-सीमा का ख्याल रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते से हो जाये तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि खासकर सिविल मुकदमों में सुलह समझौते से बेहतर परिणाम और कुछ नहीं हो सकता है.

90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता पर राष्ट्रीय अभियान को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश () सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों व मीडिएटर्स के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को विशेष मध्यस्थता अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा मुकदमों को चिह्नित कर पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है. कहा कि पक्षकारों की उपस्थिति में शीघ्र मध्यस्थता की शुरुआत करायें. 90 दिनों तक चलने वाले विशेष मध्यस्थता अभियान में सड़क दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, चेक बाउंस केस, व्यावसायिक विवाद केस, सिविल मैटर, सुलहनीय क्रिमिनल केस, टेनेंसी वाद, भू-अधिकारण से संबंधित वाद, बकाया से संबंधित वाद समेत अन्य सिविल मुकदमों का निस्तारण किया जायेगा. पीडीजे ने कहा कि मुकदमों के निस्तारण में लातेहार जिला को अव्वल बनाना है और यह सबके सहयोग से ही संभव है. उन्होंने कहा कि कई मुकदमे ऐसे भी होते हैं जो सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं. बस इसके लिए पक्षकारों को थोड़ा समझाने की जरूरत है.

बैठक में ये रहे मौजूद : न्यायाधीश संजय कुमार दूबे, न्यायाधीश सुनील दत्ता, सीजेएम विक्रम आनंद, एसएसीजेएम कुमारी जीव, सिविल जज मिनाक्षी मिश्रा, सचिव शिवम चौरसिया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन, मीडिएटर्स लाल अरविंद नाथ शाहदेव, पंकज कुमार, संजय कुमार, विक्रांत कुमार सिंह, नवीन कुमार गुप्ता, निरंजन प्रकाश मल्लान, बृद बिहारी प्रसाद यादव, अरविंद प्रसाद, प्रमोद कुमार पांडेय समेत कई अधिवक्ता उपस्थित थे.

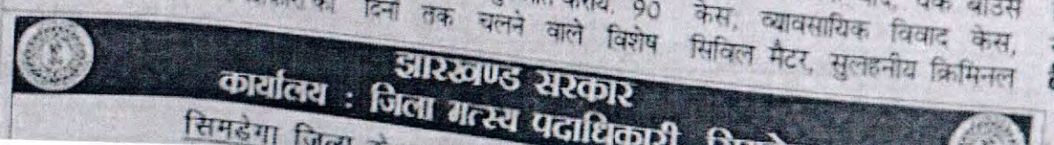

लोहरदगा

प्रभात खबर रांची, बुधवार, 02.07.2025, 07

90 दिवसीय मेडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन शुरू

अधिवक्ताओं के साथ बैठक करते पीडीजे.

प्रतिनिधि, लोहरदगा

सुप्रीम कोर्ट और नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर देशभर के उच्च न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में लंबित मामलों को सुलझाने के लिए 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन की शुरुआत की गयी है. यह अभियान एक जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा. झालसा रांची के निर्देशानुसार एक जुलाई को जिला व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. इसमें डालसा लोहरदगा में कार्यरत सभी मध्यस्थ शामिल हुए. बैठक में अभियान की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गयी. अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक सुलह योग्य मामलों का निपटारा करना है. पक्षकार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. डालसा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि यह अभियान मध्यस्थता को एक प्रभावी, सौहार्दपूर्ण और पसंदीदा विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में बढ़ावा देगा. इससे न्यायालयों का बोझ कम होगा, समय और खर्च की बचत होगी और रिश्ते भी सुरक्षित रहेंगे. अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, सेवा संबंधी मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली और भूमि अधिग्रहण से संबंधित सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जायेगा. मौके पर मध्यस्थ हेमंत कुमार सिन्हा, लाल दीपक कुमार, लाल धर्मेंद्र देव, सुरीला देवी, कुमार चंद्रशेखर, युगल किशोर प्रसाद, पवन कुमार और बुधनाथ साहू उपस्थित थे.

पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की पहल, पाकुड़ में गूंजा न्याय का संकल्प

90 दिन में मिलेगा न्याय! मोटर क्लेम मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर पीडीजे ने बनाई रणनीति

झारखण्ड की हकीकत

पाकुड़: पीड़ितों को न्याय के लंबे इंतजार से मुक्ति दिलाने और न्यायिक प्रक्रिया को सहज एवं प्रभावी बनाने की दिशा में आज पाकुड़ जिला न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान की सफलता को लेकर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेष नाथ सिंह ने की।

बैठक में मोटर दुर्घटना दावा वाद (एमएसीटी) से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही, पीड़ितों को समयबद्ध और यथोचित मुआवजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और

सुगम बनाने की रूपरेखा तय की गई। बैठक में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूपा बंदना किरो, इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्ता और एमएसीटी से जुड़े अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह तय किया गया कि अधिक से अधिक मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि न्याय की राह में किसी प्रकार की देरी या जटिलता न आए। इंश्योरेंस कंपनियों और वादकारियों के बीच समन्वय बनाकर मामलों का त्वरित समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने पर बल दिया गया।

क्या है 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान?

न्याय विभाग की यह विशेष पहल नालसा (नई दिल्ली) एवं झालसा (रांची) के निदेर्शानुसार चलाई जा रही है, जिसमें मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद जैसे मामलों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाकर न्याय वितरण व्यवस्था को गति देने का लक्ष्य है।

न्याय के रास्ते होंगे सरल, पीड़ितों को मिलेगा राहत

पीडीजे शेष नाथ सिंह ने कहा कि मध्यस्थता अभियान का मुख्य उद्देश्य है पीड़ितों को कम समय में राहत देना और लंबी कानूनी लड़ाई से बचाना। इसके लिए सभी पक्षकारों को एक साथ बैठाकर समाधान निकाला जाएगा।

Pictures and Paper Clippings of 90 Days Special Mediation Drive – "Mediation for the Nation"

मध्यस्थता से निपटेंगे लंबित मुकदमे, हजारीबाग में शुरू हुआ 90 दिवसीय विशेष अभियान

संवाददाता

हजारीबाग। न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को तेजी से सुलझाने के उद्देश्य से 1 जुलाई से पूरे देश में 'नेशन फॉर मेडिएशन' अभियान की शुरूआत हुई है। इसी कड़ी में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के बैनर तले न्याय सदन में विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत की गई।अभियान के शुभारंभ को लेकर प्रधान जिला जज रंजीत कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक न्याय सदन भवन में आयोजित की गई, जिसमें डालसा सचिव गौरव खुराना सहित जिले के सभी प्रशिक्षित मध्यस्थ शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि इस 90 दिवसीय अभियान के दौरान वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य सुलह योग्य सिविल मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाएगा। प्रधान जिला जज ने सभी मध्यस्थों को निर्देश दिया कि रेफरल मामलों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षकारों व अधिवक्ताओं के संपर्क विवरण के साथ उपलब्ध कराई जाए, ताकि समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने डालसा सचिव को निर्देशित किया कि सभी न्यायालयों से लंबित मामलों की सूची शीघ्र एकत्र कर अभियान को गति दें। बैठक में बतौर मध्यस्थ हिमांशु कुमार सिन्हा, कविता कुमारी, नरेश प्रसाद, केके वर्मा, मनोरंजन राय, भैया मुकेश कुमार, अजय कुमार, अमरनाथ मिश्रा, मोहम्मद मुअज्जम, तयविजय कुमार सिंह, नीलम कुमारी, मनीष चंद्रा, चंद्रिका प्रसाद, मनोज कुमार, अजीत कुमार और गौरव सहाय उपस्थित थे।

90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू

वर्ल्ड विजन न्यूज

हजारीबाग। हजारीबाग सिविल कोर्ट में पक्षकारों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले एक जुलाई से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई। मेडिएशन फॉर द नेशन के थीम पर आगामी 90 दिनों तक पक्षकारों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपनाकर लंबित मामलों में सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए अलग-अलग न्यायालय में लंबित मामलों को चिह्नित किया जा रहा है। इस विशेष मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, कॉमर्शियल विवाद, सेवा संबंधी मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले, बैंक कर्ज रिकवरी से संबंधित मामले, बंटवारा वाद, भू-अर्जन से संबंधित मामले और सभी तरह के सिविल वादों को शामिल किया गया है। बातचीत के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि प्रधान जिला जज रंजीत कुमार के देख-रेख में इस विशेष मध्यस्थता अभियान में वैसे सभी मध्यस्थों को शामिल किया गया है, जिन्होंने 40 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि पक्षकारों की सुविधा के अनुसार उन्हें तारीख और समय दी जाएगी। इस दौरान वैसे पक्षकार जो जिले व राज्य से बाहर हैं, उनके मामलों में ऑनलाइन के माध्यम से भी मध्यस्थता कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह विशेष मध्यस्थता अभियान फिजिकल मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में चलेगा। इसके लिए संबंधित सभी न्यायालयों से पक्षकारों के नाम उनके मोबाइल नंबरों के साथ मांगे जा रहे हैं। इसे बाद में मध्यस्थता केंद्र से पक्षकारों को फोन कर उनके सुविधा के अनुसार उनसे बात की जाएगी और उनके मामलों में सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा।

- मेडिएशन फॉर द नेशन के थीम पर आगामी 90 दिनों तक पक्षकारों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपनाकर लंबित मामलों में सुलह कराने का होगा प्रयास
- वैसे पक्षकार जो जिले व राज्य से बाहर हैं, उनके मामलों में ऑनलाइन के माध्यम से भी कराई जाएगी मध्यस्थता

विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत

न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग द्वारा न्याय सदन में अभियान का शुभारंभ

झारखण्ड जागरण संवाददाता

हजारीबाग : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (ठअछरअ) द्वारा देशभर में "नेशन फॉर मेडिएशन" अभियान के अंतर्गत 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत 1 जुलाई से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित वादों को मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाना है।झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा-निदेर्शों के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), हजारीबाग द्वारा इस विशेष मध्यस्थता अभियान का शुभारंभ न्याय सदन, हजारीबाग में किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला जज रंजीत कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डालसा सचिव गौरव खुराना और जिले के सभी प्रशिक्षित मध्यस्थ उपस्थित थे।बैठक में प्रधान जिला जज ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस अभियान के दौरान विशेष रूप से वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, मोटर दावा दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले तथा अन्य सुलह योग्य सिविल वादों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध रूप से निपटाया जाए।उन्होंने यह भी बताया कि सभी मध्यस्थों को शीघ्र ही लंबित रेफरल मामलों की सूची प्रदान की जाएगी, जिसमें संबंधित पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के मोबाइल नंबर दर्ज होंगे। इस सूची के माध्यम से मध्यस्थ पक्षकारों से संवाद स्थापित कर समयानुकूल समाधान की प्रक्रिया आरंभ कर सकेंगे।प्रधान जिला जज ने डालसा सचिव गौरव खुराना को निर्देश दिया कि संबंधित सभी न्यायालयों से लंबित मामलों की सूची तत्काल प्राप्त कर इस अभियान को गति दी जाए। इस अभियान से न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित, सहज और मानवीय बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल की उम्मीद की जा रही है।

शुरू हुआ 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान

पंच संवाददाता

हजारीबाग । हजारीबाग सिविल कोर्ट में पक्षकारों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निदेर्शानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 1 जुलाई से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत की गई। मेडिएशन फॉर द नेशन के थीम पर आगामी 90 दिनों तक पक्षकारों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपनाकर लंबित मामलों में सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए अलग-अलग न्यायालय में लंबित मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। इस विशेष मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, कॉमर्शियल विवाद, सेवा संबंधी मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले, बैंक कर्ज रिकवरी से संबंधित मामले, बंटवारा वाद, भू-अर्जन से संबंधित मामले और सभी तरह के सिविल वादों को शामिल किया गया है। बातचीत के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि प्रधान जिला जज रंजीत कुमार के देख-रेख में इस विशेष मध्यस्थता अभियान में वैसे सभी मध्यस्थों को शामिल किया गया है ।

हजारीबाग सिविल कोर्ट में 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू

संवाददाता

हजारीबाग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निदेशानुसार हजारीबाग सिविल कोर्ट में 1 जुलाई से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य पक्षकारों को सुलह के आधार पर त्वरित न्याय दिलाना और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना है। शुक्रवार को प्रधान जिला जज रंजीत कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुलह योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें शीघ्र निष्पादित करने पर चर्चा की गई। बैठक में जिला वन पदाधिकारी, सदर और बरही अनुमंडल पदाधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, उत्पाद और बिजली विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रधान जिला जज ने 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर भी विभागीय तैयारी का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से सिविल कोर्ट स्थित न्याय सदन भवन में प्री-सीटिंग प्रारंभ होगी, जिसमें पक्षकारों के बीच सुलह की प्रक्रिया चलाई जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने जानकारी दी कि अभियान को लेकर पक्षकारों को मोबाइल और नोटिस के माध्यम से सूचना दी जा रही है। उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान और लोक अदालत का लाभ उठाएं ताकि समय और खर्च की बचत के साथ न्याय सुलभ हो सके।

मध्यस्थता से निपटेंगे लंबित मुकदमे, हजारीबाग में शुरू हुआ 90 दिवसीय विशेष अभियान

संवाददाता

हजारीबाग। न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों को तेजी से सुलझाने के उद्देश्य से 1 जुलाई से पूरे देश में 'नेशन फॉर मेडिएशन' अभियान की शुरूआत हुई है। इसी कड़ी में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के बैनर तले न्याय सदन में विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत की गई।अभियान के शुभारंभ को लेकर प्रधान जिला जज रंजीत कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक न्याय सदन भवन में आयोजित की गई, जिसमें डालसा सचिव गौरव खुराना सहित जिले के सभी प्रशिक्षित मध्यस्थ शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि इस 90 दिवसीय अभियान के दौरान वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य सुलह योग्य सिविल मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाएगा। प्रधान जिला जज ने सभी मध्यस्थों को निर्देश दिया कि रेफरल मामलों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षकारों व अधिवक्ताओं के संपर्क विवरण के साथ उपलब्ध कराई जाए, ताकि समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने डालसा सचिव को निर्देशित किया कि सभी न्यायालयों से लंबित मामलों की सूची शीघ्र एकत्र कर अभियान को गति दें। बैठक में बतौर मध्यस्थ हिमांशु कुमार सिन्हा, कविता कुमारी, नरेश प्रसाद, केके वर्मा, मनोरंजन राय, भैया मुकेश कुमार, अजय कुमार, अमरनाथ मिश्रा, मोहम्मद मुअज्जम, तयविजय कुमार सिंह, नीलम कुमारी, मनीष चंद्रा, चंद्रिका प्रसाद, मनोज कुमार, अजीत कुमार और गौरव सहाय उपस्थित थे।

एकमात्र उद्देश्य : न्यायालय में लंबित वादों को मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त करना

वर्ल्ड विज़न न्यूज़

» मध्यस्थता अभियान के लिए पीडीजे ने जारी किए कई निर्देश

» 90 दिवसीय महाअभियान को सफल बनाने पर बनी रणनीति

हजारीबाग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने पूरे देश में एक साथ नेशन के लिए मेडिएशन अभियान के अंतर्गत 90 दिवसीय एक विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से प्रारंभ की है। जिसका एकमात्र उद्देश्य न्यायालय में लंबित वादों को मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करना है। इसी के मद्देनजर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 1 जुलाई से विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत न्याय सदन में कर दी गई है। इसी बात को लेकर प्रधान जिला रंजीत कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के न्याय सदन भवन में हुई। जिसमें डालसा सचिव गौरव खुराना और सभी प्रशिक्षित मध्यस्थ के मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रधान जिला जज ने सभी मध्यस्थों को निर्देश दिया है कि 90 दिवसीय इस अभियान के दौरान विशेष रूप से वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, मोटर दावा दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले और अन्य सुलहनीय व सिविल वादों का निपटारा अच्छे से ध्यान व समय देकर करना है। बैठक के दौरान प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने कहा कि सभी मध्यस्थों को जल्द ही लंबित रेफरल मामलों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। जिसमें संबंधित पक्षकारों के मोबाइल नंबर और उनके अधिवक्ता का मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा । जिसके आधार पर मध्यस्थ पक्षकारों की सुविधा अनुसार उनके मामलों में बातचीत कर उनके मामलों का समाधान कर सकेंगे। इस दौरान प्रधान जिला जज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना को निर्देश दिया है, कि संबंधित सभी न्यायलयों से लंबित मामलों की सूची जल्द उपलब्ध करा लें। ताकि इस विशेष मध्यस्थता अभियान में गति प्रदान की जा सके। इस बैठक में बतौर मध्यस्थ हिमांशु कुमार सिन्हा, कविता कुमारी, नरेश प्रसाद, केके वर्मा, मनोरंजन राय, भैया मुकेश कुमार, अजय कुमार, अमरनाथ मिश्रा, मोहम्मद मुअज्जम, विजय कुमार सिंह, नीलम कुमारी, मनीष चन्द्रा, चंद्रिका प्रसाद, मनोज कुमार अजीत कुमार और गौरव सहाय उपस्थित थे।

रांची, बुधवार, 2 जुलाई 2025 05 हिन्दुस्तान

हजारीबाग में शुरू हुआ विशेष मध्यस्थता अभियान

हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि। हजारीबाग सिविल कोर्ट में पक्षकारों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 01 जुलाई से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई।

मेडिएशन फॉर द नेशन के थीम पर आगामी 90 दिनों तक पक्षकारों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपनाकर लंबित मामलों में सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए अलग-अलग न्यायालय में लंबित मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। इस विशेष मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, धनेलू हिंसा, चेक बाउंस, कॉमर्शियल विवाद, सेवा संबंधी मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले आदि वादों को शामिल किया गया है।

हजारीबाग में शुरू हुआ विशेष मध्यस्थता अभियान

हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि। हजारीबाग सिविल कोर्ट में पक्षकारों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 01 जुलाई से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई।

मेडिएशन फॉर द नेशन के थीम पर आगामी 90 दिनों तक पक्षकारों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया को अपनाकर लंबित मामलों में सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए अलग-अलग न्यायालय में लंबित मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। इस विशेष मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, कॉमर्शियल विवाद, सेवा संबंधी मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले आदि वादों को शामिल किया गया है।

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com
रांची
शनिवार
5 जुलाई 2025
03

बैठक | विशेष मध्यस्थता अभियान को लेकर पीडीजे ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश

सुलह योग्य मामले जल्द निपटाएं : पीडीजे

हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हजारीबाग सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। नेशन के लिए मेडिएशन अभियान के तहत प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न की। उन्होंने अलग-अलग विभागों से उपस्थित पदाधिकारियों को सुलहनीय मामलों को चिन्हित कर उसे जल्द-से-जल्द सुलह के आधार पर समाप्त करने का दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि सुलह के आधार पर मामलों के समाधान होने से पक्षकारों को इसका त्वरित लाभ मिलेगा और लंबित मामलों में भी कमी आएगी। इस बैठक में जिला वन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, बरही अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी और उत्पाद विभाग व बिजली विभाग से आए पदाधिकारी मौजूद थे। प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने 13 सितंबर को लगने वाले नेशनल लोक अदालत को लेकर भी तैयारी करने का निर्देश सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत को लेकर 14 जुलाई से सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन भवन में प्री-सीटिंग पक्षकारों के बीच प्रारंभ हो जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि प्रधान जिला जज के निर्देशानुसार 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान और आगामी नेशनल लोक अदालत को लेकर तैयारी की जा रही है।

हजारीबाग में मंगलवार को बैठक में मौजूद प्रधान जिला जज रंजीत कुमार और अन्य।

प्रभात खबर 09
रांची, शनिवार, 05.07.2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग

द्वारा

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची के निर्देशानुसार

90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान

'Mediation for the Nation'

का प्रारंभ दिनांक 01 जुलाई, 2025 से किया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन हेतु मध्यस्थता केंद्र में भेजा जा सकेगा जिससे संबंधित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जा सके। इस अभियान के अंतर्गत पक्षकारों की सुविधा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग स्थित मध्यस्थता केंद्र सप्ताह के सभी दिन खुला रहेगा साथ ही साथ मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफलाईन, ऑनलाईन एवं हाइब्रिड मोड से की जा सकेगी।

0 वैवाहिक विवाद के मामले	0 सुलहनीय प्रकृति के आपराधिक मामले
0 मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से संबंधित मामले	0 उपभोक्ता से संबंधित मामले
0 घरेलू हिंसा से संबंधित मामले	0 धन वसूली से संबंधित मामले
0 चेक अनादरण से संबंधित मामले	0 बंटवारे से संबंधित सिविल वाद
0 वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मामले	0 बेदखली से संबंधित मामले
0 सेवा से संबंधित मामले	0 भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले एवं अन्य उपयुक्त सिविल वाद

इस संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते है साथ ही साथ मोबाईल संख्या 9939201624 एवं दूरभाष संख्या 06546-291953 से भी संपर्क कर सकते हैं।

पुलिस अधीक्षक सह सदस्य
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
हजारीबाग।

उपायुक्त सह उपाध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
हजारीबाग।

प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
हजारीबाग।

PR 356565 Law(25-26)D

प्रभात खबर
रांची, गुरुवार
03.07.2025

90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू, जिला जज ने कहा

वादों को निबटाने में गंभीरता से समय दें

प्रतिनिधि, हजारीबाग

वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा सहित अन्य सुलहनीय एवं सिविल वाद निबटाये जायेंगे

बैठक में जिला जज रंजीत कुमार व अन्य.

हजारीबाग जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के बैनर तले न्याय सदन भवन में 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गयी. बुधवार को प्रधान जिला जज रंजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में डालसा सचिव गौरव खुराना समेत सभी प्रशिक्षित मध्यस्थ उपस्थित थे. बैठक में प्रधान जिला जज ने निर्देश दिया कि वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, अन्य सुलहनीय एवं सिविल वादों के निष्पादन में गंभीरता से समय दें. उन्होंने बताया कि सभी लंबित रेफरल मामलों की सूची मध्यस्थों को दी जायेगी, जिसमें पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं के मोबाइल नंबर होंगे. इसके आधार पर मध्यस्थ समय तय कर मध्यस्थता की प्रक्रिया को गति देंगे. बैठक में मध्यस्थ हिमांशु कुमार सिन्हा, कविता कुमारी, नरेश प्रसाद, केके वर्मा, मनोरंजन राय, भैया मुकेश कुमार, अजय कुमार, अमरनाथ मिश्रा, मोहम्मद मुअज्जम, विजय कुमार सिंह, नीलम कुमारी, मनीष चंद्र, चंद्रिका प्रसाद, मनोज कुमार, अजीत कुमार और गौरव सहाय उपस्थित थे.

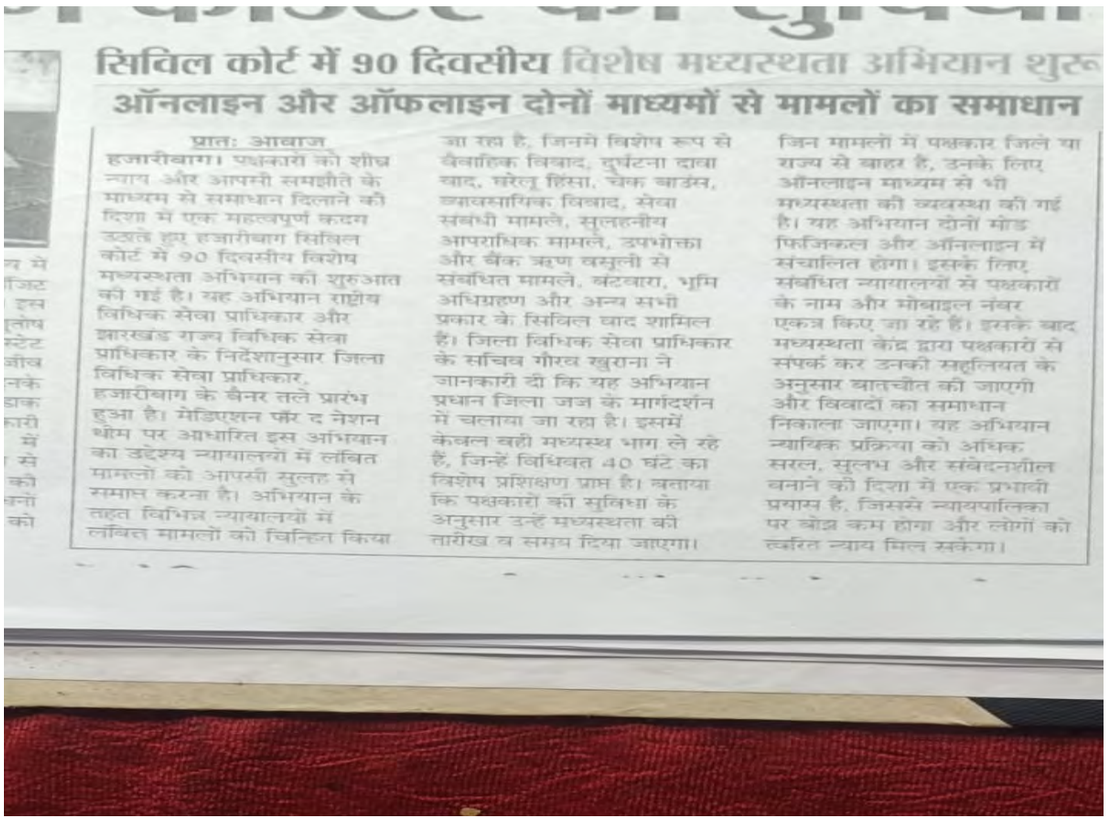

सिविल कोर्ट में 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मामलों का समाधान

प्रात: आवाज

हजारीबाग। पक्षकारों को शीघ्र न्याय और आपसी समझौते के माध्यम से समाधान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हजारीबाग सिविल कोर्ट में 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के बैनर तले प्रारंभ हुआ है। मेडिएशन फॉर द नेशन थीम पर आधारित इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सुलह से समाप्त करना है। अभियान के तहत विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनमें विशेष रूप से वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा वाद, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, व्यावसायिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, सुलहनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता और बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, बंटवारा, भूमि अधिग्रहण और अन्य सभी प्रकार के सिविल वाद शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने जानकारी दी कि यह अभियान प्रधान जिला जज के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। इसमें केवल वही मध्यस्थ भाग ले रहे हैं, जिन्हें विधिवत 40 घंटे का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। बताया कि पक्षकारों की सुविधा के अनुसार उन्हें मध्यस्थता की तारीख व समय दिया जाएगा। जिन मामलों में पक्षकार जिले या राज्य से बाहर हैं, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से भी मध्यस्थता की व्यवस्था की गई है। यह अभियान दोनों मोड फिजिकल और ऑनलाइन में संचालित होगा। इसके लिए संबंधित न्यायालयों से पक्षकारों के नाम और मोबाइल नंबर एकत्र किए जा रहे हैं। इसके बाद मध्यस्थता केंद्र द्वारा पक्षकारों से संपर्क कर उनकी सहूलियत के अनुसार बातचीत की जाएगी और विवादों का समाधान निकाला जाएगा। यह अभियान न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा और लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा।

सिविल कोर्ट में 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान शुरू

हजारीबाग. हजारीबाग सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले मंगलवार से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गयी. यह अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन थीम पर आधारित है, जिसमें अगले 90 दिनों तक पक्षकारों के बीच सुलह कराकर लंबित मामलों का निष्पादन किया जायेगा. अभियान के तहत अलग-अलग न्यायालयों में लंबित मामलों को चिह्नित किया जा रहा है. इनमें वैवाहिक, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, सेवा संबंधी, उपभोक्ता शिकायतें, बैंक ऋण वसूली, भू-अर्जन, बंटवारा और अन्य सिविल वाद शामिल हैं. सचिव गौरव खुराना ने बताया कि यह विशेष अभियान प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की देखरेख में संचालित हो रहा है.

बैठक | विशेष मध्यस्थता अभियान को लेकर पीडीजे ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक, दिए जरूरी दिशानिर्देश

सुलह योग्य मामले जल्द निपटाएं : पीडीजे

हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हजारीबाग सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 90 दिवसीय विशेष मध्यंस्थता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। नेशन के लिए मेडिसिन अभियान के तहत प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न की। उन्होंने अलग-अलग विभागों से उपस्थित पदाधिकारियों को सुलहनीय मामलों को चिन्हित कर उसे जल्द-से-जल्द सुलह के आधार पर समाप्त करने का दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि सुलह

हजारीबाग में मंगलवार को बैठक में मौजूद प्रधान जिला जज रंजीत कुमार और अन्य।

के आधार पर मामलों के समाधान होने से पक्षकारों को इसका त्वरित लाभ मिलेगा और लंबित मामलों में भी कमी आएगी। इस बैठक में जिला वन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, बरही अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी और उत्पाद विभाग व बिजली विभाग से आए पदाधिकारी मौजूद थे। प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने 13 सितंबर को लगने वाले नेशनल लोक अदालत को लेकर भी तैयारी करने का निर्देश सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत को लेकर 14 जुलाई से सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन भवन में प्री-सीटिंग पक्षकारों के बीच प्रारंभ हो जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि प्रधान जिला जज के निर्देशानुसार 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान और आगामी नेशनल लोक अदालत को लेकर तैयारी की जा रही है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत शुरू हुई 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान

झारखण्ड जागरण संवाददाता

हजारीबाग : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हजारीबाग सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले 1 जुलाई से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरूआत कर दी गई है। नेशन के लिए मेडिसिन अभियान के तहत प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न की। उन्होंने अलग-अलग विभागों से उपस्थित पदाधिकारियों को सुलहनीय मामलों को चिन्हित कर उसे जल्द-से-जल्द सुलह के आधार पर समाप्त करने का दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि सुलह के आधार पर मामलों के समाधान होने से पक्षकारों को इसका त्वरित लाभ मिलेगा। और लंबित

मामलों में भी कमी आएगी। इस बैठक में जिला वन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, बरही अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी और उत्पाद विभाग व बिजली विभाग से आए पदाधिकारी मौजूद थे इस बैठक में प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने 13 सितंबर को लगने वाले नेशनल लोक अदालत को लेकर भी तैयारी करने का निर्देश सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत को लेकर 14 जुलाई से सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन भवन में प्री-सीटिंग पक्षकारों के बीच प्रारंभ हो जाएगी। बैठक की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि प्रधान जिला जज के निर्देशानुसार 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान और आगामी नेशनल लोक अदालत को लेकर तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पक्षकारों को मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जा रही है और उन्हें नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षकारों से अपील भी किया है कि इस विशेष मध्यस्थता अभियान और नेशनल लोक अदालत का ज्यादा-से-ज्यादा लाभ पक्षकार उठाएं।

Banners & Hoardings of 90 Days Special Mediation Drive – "Mediation for the Nation"

1. Civil Court Campus (Near Entrance Gate for Advocates and Litigants)

2. Civil Court Campus (Near Entrance Gate for Judges and Advocates)

3. Sub-Judge Building (Civil Court, Hazaribagh)

4. Sub-Judge Building (Near Court of ACJM , Civil Court, Hazaribagh)

5. Sub-Judge Building (Main Entrance)

6. Magistrate Building (1st Floor) Civil Court, Hazaribagh

7. Magistrate Building (Ground Floor) Civil Court, Hazaribagh

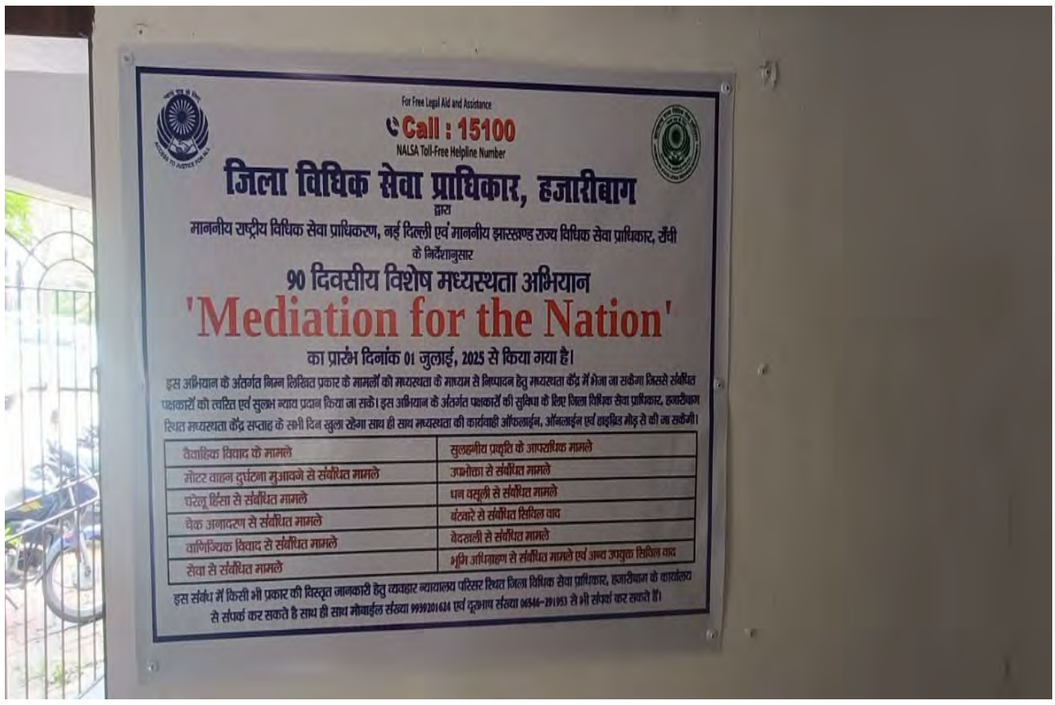

8. Main Building , Hazaribagh

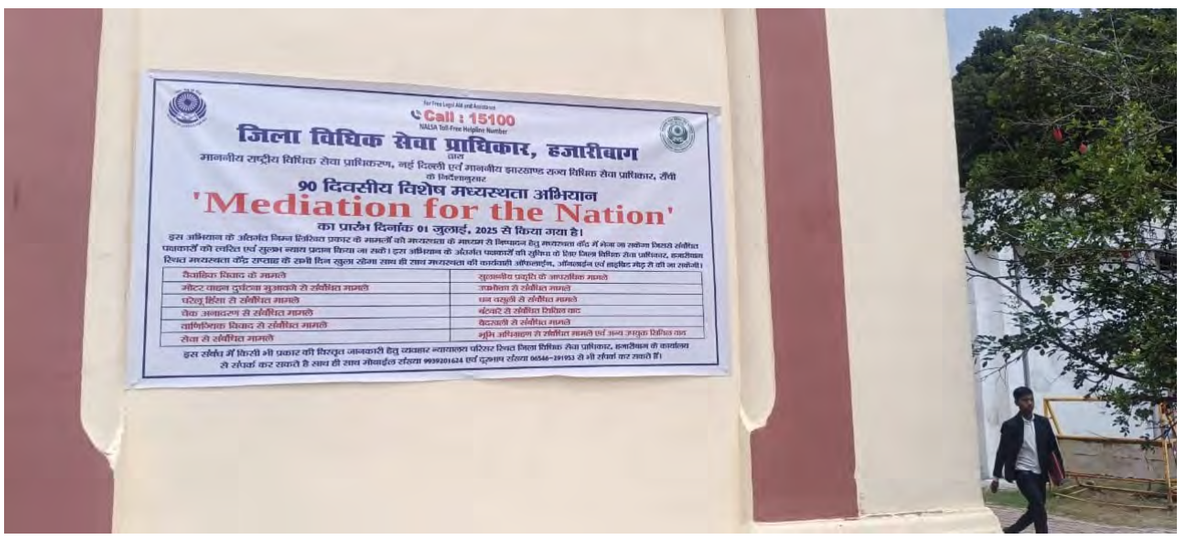

9. Civil Court Campus, Hazaribagh

10. Family Court, Civil Court, Hazaribagh

11. Near CJM Court, Civil Court, Hazaribagh

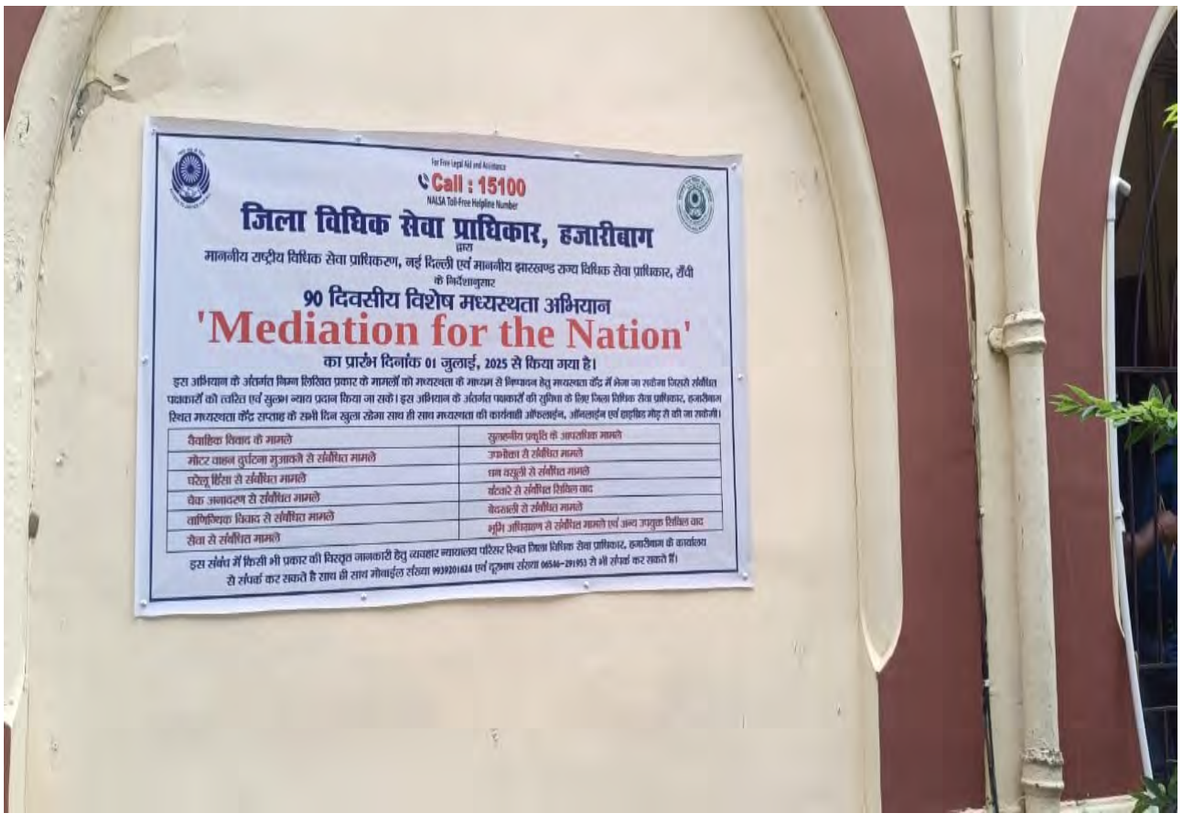

12. District Consumer Forum, Hazaribagh

13. D.C Office, Hazaribagh

14. Labour Court, Hazaribagh

15. DLSA Entrance